Linkage between Livelihoods and Habitat Develpment

It is critical to include livelihood creation and market linkages in habitat planning through:

- Involvement of PRIs for effective implementation of poverty alleviation and employment generation programmes.
  (by State Government)
- Allocation of subsidy funds to Gram Sabhas, a part of which would be used for on-the-job training of local people.
  (by State Government)
- Promotion of building materials and components based on agricultural and industrial waste, locally produced by small and micro entrepreneurs by way of fiscal incentives.
  (by Central/State Government)
- Engagement of atleast 50% labour employed in habitat projects from the same Gram Sabha with 50% women.
  (by Gram Panchayat)

Effective Monitoring and Access to Information

Effective monitoring systems are needed for addressing habitat problems through:

- Making available information related to local building codes and norms to PRIs.
  (by State Government)
- Preparation of State Level Rural Housing and Habitat Policy and Action Plans giving a road map of actions pertaining to institutional, legal, regulatory and financial initiatives.
  (by Central/State Government)
- Setting up of a Management Information System to track the implementation of the District Action Plans.
  (by State Government/ Zilla Panchayat)
- Setting up of Monitoring frame-works at the State and National Level to review the implementation of Policies.
  (by Central Government)

Facilitator...

basin
South Asia
Regional Knowledge Platform

basin-*South Asia* Regional Knowledge Platform (**basin**-*SA*) is committed to "developing knowledge systems and promoting collaborative action within South Asia to enable access by the poor to sustainable habitat and livelihoods".

Partners...

Development Alternatives is a not-for-profit sustainable development enterprise that designs and promotes programmes and products which, through use of alternative technology, contribute to enrichment of human life.

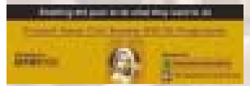

Focused on 108 of the poorest districts of India, the **Poorest Areas Civil Society (PACS) Programme** of **DFID** seeks to build the capacities of poor people to influence policies, and demand services and entitlements that can improve their lives.

Swiss Agency for Development and Cooperation is the international cooperation agency of the Swiss Foreign Ministry. The Rural Housing Project of SDC in India focusses on providing choices and access to poor rural families for improved housing.

Background...

Every individual in India has a 'Right to Adequate Shelter' with basic amenities of water, sanitation, domestic energy, community infrastructure and livelihoods. **How many are enjoying this right?**

Of the total housing shortage of 14.9 million, rural areas account for about 65% and effectively over 80% of rural households do not have access to an adequate and reliable livelihood base.

The existing National Habitat Policy of 1998 has no mention of the distinct concerns and needs of rural areas.

We need a 'Rural Housing and Habitat Policy' that responds to "special character, priorities and potential" of rural India.

The Initiative...

A first working draft of the proposed "National Rural Housing and Habitat Policy" has been developed through a consultation with Civil Society Organisations (CSOs), private sector, bankers and government functionaries. It serves as a base for further discussions with state level actors on policy clauses that provide a comprehensive response to rural needs and conditions in India.

The Process...

Inputs from all states across the country are now invited to evolve the 'Final Draft' of the "National Rural Housing and Habitat Policy for India" as a proposal to the Government by the People of India.

Cornerstones of the Proposed Policy...

The Principle of Inclusiveness and Flexibility

The policy must provide for inclusion of all stakeholders – communities, panchayats, government, CSOs, financial and technical institutions and the private sector in habitat planning, design and development. The policy must be flexible to guide local interpretation for detailed planning and implementation of habitat development initiatives.

The Principle of Integration

The policy must integrate access to housing with basic amenities, livelihoods, community infrastructure and natural resources for a better quality of life in rural areas.

The Principle of Access

The policy must facilitate access to land, livelihoods, finance, technology, relevant capacities, knowledge and skills, which are critical for habitat development.

The Principle of Safety against Disasters

The policy must promote vulnerability reduction of families, houses and community shelters. It must ensure that regulatory mechanisms as well as skills for safe construction are put to effective use.

The Principle of Resource Efficiency and Sustainability

The policy must address environmental, social and economic concerns by utilizing various resources in a sustainable manner and minimizing negative environmental impacts of habitat development.

The ultimate aim of the policy is to ensure sustainable and inclusive development of rural settlements. It promotes habitat, livelihoods and a better quality of life for all citizens of rural India using the potential of all stakeholders.

Action Areas of the Proposed Policy...

Land – Access and Management

Every household must have adequate land and security of tenure through:

- Detailed land inventory of the village and record of landless and houseless households.
  (by Gram Panchayat)
- Land assembly, development and preparation of land use and management plans at the local level, allocating land for housing, civic infrastructure, institutions and industries.
  (by Gram Panchayat, Gram Sabha and Technical Agencies)
- Granting homestead rights to the landless with special emphasis on the marginalized.
  (by Gram Panchayat)
- Providing appropriate land for relocation of disaster affected households and redistribution.
  (by State Government)

Access to Finance

Financial issues for habitat development must be addressed by alternate, innovative methods of credit through:

- Empowering village governments to mobilize funds for habitat development.
  (by State Government)
- Fiscal incentives to village governments for housing the poorest and encouraging affordable, safe, cost effective, energy efficient housing and disaster resistant construction.
  (by State Government)
- Considering housing at par with infrastructure to encourage private and public investments.
  (by Central/State Government)
- Developing customized finance products for rural customers and investing in awareness creation.
  (by Financial Institutions/Banks)
- Encouraging and enabling financial institutions and banks to increase their lending in the rural areas.
  (by Central/State Government)
- Insurance of habitat credit and provision of one time premium.
  (by Banks)
- Creation of National Rural Shelter and Risk Fund.
  (by Central Government with further contributions from private sector and commercial banks)
- Encouraging primary lending institutions to enhance their credit flow to the vulnerable sections and publicly declare priority sector targets.
  (by Banks)
- Combining livelihood and community infrastructure grants with supportive credit cum grant for housing development.
  (by Banks)

Legal and Regulatory Reforms

Fundamental legal and regulatory reforms should be set in place to facilitate effective implementation and monitoring through:

- Developing rural habitat plans, sanctioning building plans and enforcement of norms.
  (by Gram Panchayat)
- Appropriate reforms to speed up habitat processes including preparation of "Model Panchayat Law ".
  (by Central/State Government)
- Integration of policies regarding natural resource management, solid waste management, rain water harvesting and the power supply.
  (by state /District Government)
- Computerization of land records, simplification of registration procedures through the use of IT.
  (by State/District Government)

Infrastructure: Reinforcing the 'Habitat' Paradigm

Integrated development of habitat with livelihoods infrastructure should be encouraged through:

- Infrastructure planning and management based on the local needs and priorities.
  (by Gram Panchayat)
- Following 'Public-Private Partnership' and participatory approach for development, and maintenance of habitat.
  (by State Government, PRIs, NGOs)
- Encouraging financial institutions to invest in infrastructure development.
  (by Central / State Government)
- Addressing displacement issues while creating national level infrastructure.
  (by Central/State Government)
- Tapping the potential of "Bharat Nirman".
  (by State Government)

Reorganizing Delivery Mechanisms

A self-sustaining system for habitat delivery based on markets must be developed through:

- Enforcing only those habitat interventions that have been finalized by the Gram Sabha.
  (by Gram Panchayat)
- Ensuring access to technical facilitation for self-help and community based habitat interventions.
  (by Gram Panchayat, NGOs and Technical Agencies)
- Transfer of cost-effective materials and technologies from 'lab' to 'land'.
  (by Rural Building Centres in an enterprise development mode)
- Deriving sustainable, appropriate construction materials and technologies from indigenous practices.
  (by Technical Agencies, NGOs and Gram Panchayat)
- Promotion of district and village level materials banks and Rural Building Centres.
  (by State/District Government)
- Delivery of sustainable technologies, produced locally within the district, encouraged through fiscal incentives.
  (by micro and small entrepreneurs)
- Including specifications of new building materials in schedule of rates, and promoting their use vigorously.
  (by State Government)
- Standardization of various building components, based on local conditions, to get better quality products at competitive rates.
  (by State Government)
- Strict enforcement of building codes and safety norms for design and construction.
  (by Gram Panchayat)

Capacity Development

Adequate capacities of stake-holders need to be built for effective implementation through:

- Awareness creation on right to safe and eco-friendly habitat.
  (by NGOs, Technical Agencies)
- Capacity building of Gram Sabhas for planning, design and monitoring.
  (by NGOs, Technical Agencies)
- Skill development of workers through NREGS and other programmes.
  (by Zilla and Gram Panchayat)
- Training of state functionaries and PRIs for effective planning, delivery, monitoring and maintenance of habitat.
  (by Central Government)
- Decentralized training of artisans and rural entrepreneurs.
  (by State Government, Building Centres and Technical Agencies)

भारत के लिए "राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति"

आजीविका एवं पर्यावास विकास के मध्य सम्पर्क

पर्यावास योजना में आजीविका सृजन को शामिल करने के लिए –

- गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन जैसे कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
  (राज्य सरकार द्वारा)
- कार्य के दौरान प्रशिक्षण के लिये ग्राम सभाओं को विशेष रूप से पूंजी आवंटित की जानी चाहिए।
  (राज्य सरकार द्वारा)
- कृषि एवं निर्माण के दौरान उपजे घटकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिनका छोटे एवं लघु उद्यमी स्थानीय उपयोग कर सकें।
  (केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)
- पर्यावास योजनाओं के लिए स्थानीय कारीगरों में कम–से–कम 50 प्रतिशत महिलाओं का चयन किया जाना चाहिए।
  (ग्राम पंचायत द्वारा)

प्रभावी परिवीक्षण एवं सूचना की सुलभता

आवश्यक पर्यावास समस्याओं से निपटने हेतु प्रभावी परिवीक्षण के लिए –

- ग्राम पंचायतों को स्थानीय निर्माण मानक एवं नियमावली उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  (राज्य सरकार द्वारा)
- जिला कार्य योजनाओं पर आधारित राज्य आवास एवं पर्यावास नीति एवं कार्ययोजना का निर्माण किया जाना चाहिए।
  (केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)
- कार्य के मूल्यांकन एवं निगरानी के लिये जिला स्तर पर सूचना प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।
  (राज्य सरकार, जिला सरकार द्वारा)
- नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिये राष्ट्रीय स्तर पर परिवीक्षण समिति गठित की जानी चाहिए।
  (केन्द्र सरकार द्वारा)

संयोजक.....

basin
साउथ एशिया

बेसिन–*साउथ एशिया* क्षेत्रीय ज्ञानमंच, दक्षिण एशिया में ग्रामीण गरीबों के लिए सतत पर्यावास और आजीविका के लिए जानकारी एवं सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देता है।

सहयोगी.....

विकास विकल्प सतत विकास के लिये कार्य कर रही एक अलाभकारी संस्था है, जो मानव जीवन की समृद्धि में योगदान करने वाले कार्यक्रमों और उत्पादों का निर्माण करती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है। इसके लिये वह वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाती है।

सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में नागरिक समाज कार्यक्रम–पैक्स प्रोग्राम

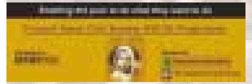

पैक्स प्रोग्राम ब्रिटिष सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी.एफ.आई.डी.) द्वारा वित्त प्राप्त है। यह भारत के छह राज्यों के 108 जिलों में फैला हुआ है, जो देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों की क्षमता विकसित करना है ताकि वे अपने हक के लिए खड़े हो सकें, नीतियों को प्रभावित कर सकें, अपने अधिकारों की मांग कर सकें एवं अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने हेतु अवसरों का निर्माण कर सकें।

स्विस ऐजेन्सी फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड कोअपरेशन

स्वीटजरलैण्ड के विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य रही एक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी ऐजेन्सी है। इसके द्वारा समर्थित ग्रामीण आवास परियोजना उन्नत आवासों के लिए गरीब ग्रामीण परिवारों को सुगमता के साथ विकल्प उपलब्ध कराती है।

पृष्ठभूमि.....

भारत के प्रत्येक नागरिक को 'एक समुचित आवास' का अधिकार है, जिसमें जल, स्वच्छता, घरेलू ऊर्जा, सामुदायिक एवं आजीविका सम्बन्धी बुनियादी आवश्कताऐं शामिल हैं। कितने परिवार इस अधिकार का लाभ उठा पा रहे हैं ?

देश में कुल 149 लाख मकानों की कमी का 65 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है और 80 प्रतिशत से भी ज्यादा ग्रामीणों के पास विश्वसनीय एवं पर्याप्त अजीविका के साधन नहीं हैं।

1998 में बनाई गई 'राष्ट्रीय पर्यावास नीति' में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय तथा आजीविका संम्बन्धी आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है।

हमें एक ऐसी 'राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति' चाहिए जो ग्रामीण भारत, विशेषकर गरीब परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

प्रक्रिया.....

'राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति' का पहला प्रारूप सरकारी संस्थाओं, बैंकरों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक निकायों के द्वारा तैयार किया गया है। यह प्रारूप आने वाले समय में राज्यों के स्तर पर विचार–विमर्श करने के लिए शुरू की गई एक पहल है, ताकि देश में ग्रामीण आवश्यकताओं और परिस्थितियों को नीति के द्वारा संबोधित किया जा सके।

'राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति' के अंतिम प्रारूप में, देश के सभी राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के विचारों को सम्मिलित किया जायेगा। अन्ततः भारत के लोगों द्वारा सरकार के समक्ष 'राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं पर्यावास नीति' का प्रस्ताव रखा जाएगा।

प्रस्तावित नीति के आधारभूत सिद्धान्त.....

समावेशिता और लचीलेपन का सिद्धान्त

यह नीति आवासीय सुधारों में सभी भागीदारों–समुदायों, पंचायतों, सरकारी, गैर–सरकारी संस्थाओं, वित्तीय और तकनीकी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्रों को शामिल करती है, यह नीति पर्यावास सुधार के लिए, प्रभावकारी, सुव्यवस्थित और स्थानीय सुविधा की व्याख्या के लिए लचीली होनी चाहिए।

एकीकरण का सिद्धान्त

यह नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन–स्तर के लिए मकान के साथ–साथ बुनियादी सुविधाओं, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं तथा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों को एक साथ देखती है।

सुलभता का सिद्धान्त

यह नीति पर्यावास सुधारों के लिए भूमि के साथ–साथ आजीविका, वित्त, तकनीक सहायता, जानकारी और कौशल को भी सुलभ कराती है।

आपदाओं के विरूद्ध सुरक्षा का सिद्धान्त

यह नीति परिवारों एवं मकान और सामुदायिक आवास की सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यह लगातार सुरक्षित निर्माण एवं प्रभावकारी उपयोग के लिए तकनीक और कुशलता को सुनिश्चित करती है।

संसाधन कुशलता और पोषणीयता का सिद्धान्त

यह नीति पर्यावास विकास के नकारात्मक दबाव को कम कर, इस्तेमाल होने वाले विभिन्न संसाधनों से जुड़े पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करती है।

इस नीति का उद्देश्य ग्रामीण बसाव एवं आजीविका के विकास को सुनिश्चित करना है। यह नीति ग्रामीण भारत के सभी लोगों के बेहतर जीवन–स्तर, पर्यावास एवं आजीविका से जुड़े सभी भागीदारों के सामर्थ्य के उपयोग को बढ़ावा देती है।

प्रस्तावित नीति के आधारभूत सिद्वान्त.....

भूमि–सुलभता और प्रबन्धन

प्रत्येक परिवार को पर्याप्त भूमि और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त कराने के लिए –

- गाँव की भूमि की विस्तृत सूचि और भूमिहीन तथा आवासहीन परिवारों की तालिका बनाई जानी चाहिए। *(ग्राम पंचायत द्वारा)*
- भूमि संग्रहण, विस्तार एवं उपयोग के लिए प्रबन्धकीय योजना बनाई जानी चाहिए। साथ ही नागरिक सुविधाओं, उद्योगों, संस्थानों एवं आवास के लिये भूमि का बटवारा होना चाहिए। *(ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*
- हाशिये पर जीवन बिता रहे भूमिहीनों को विशेष रूप से आवास मिलना चाहिए। *(ग्राम सभा द्वारा)*
- आपदा–ग्रस्त लोगों के पुनः बसाव के लिए उपयुक्त भूमि का पुनर्वितरण होना चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*

वित्त की सुलभता

पर्यावास विकास के लिए वित्तीय संसाधन विकसित करने के लिए –

- ग्रामीण शासन को पर्यावास विकास के लिये वित्तीय संसाधन प्राप्त करने के लिये सशक्त किया जाना चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*
- राजस्व संबन्धी रियायतों द्वारा सुरक्षित, किफ़ायती और ऊर्जा –कुशल एवं आपदा निरोधक आवास निर्माण को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*
- आवास एवं बुनियादी सुविधाओं के लिये निजी और सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। *(केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)*
- ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सुगम एवं व्यावहारिक वित्तीय साधनों का विकास तथा इनका सार्वजनिक प्रचार किया जाना चाहिए। *(बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा)*
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। *(केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)*
- पर्यावास ऋण का बीमा और एक बार के प्रीमियम की व्यवस्था की जानी चाहिए। *(बैंकों द्वारा)*
- राष्ट्रीय ग्रामीण आवास 'जोखिम कोष' (रिस्क फंड) का गठन किया जाना चाहिए। *(केन्द्र सरकार, निजी क्षेत्र एवं व्यावसायिक बैंक द्वारा)*
- ग्रामीण गरीबों के लिये लघु वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय संस्थाओं के प्राथमिक क्षेत्रों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। *(बैंकों द्वारा)*
- आजीविका एवं सामुदायिक संरचना के विकास के लिये ऋण एवं अनुदान सहायता एक साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। *(बैंकों द्वारा)*

कानूनी और नियामक सुधार

पर्यावास प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन, आधारभूत कानूनी और नियामक सुधारों के लिए –

- पर्यावास नक्शों का विकास, भवन के नक्शों की स्वीकृति एवं मानकों का प्रवर्तन किया जाना चाहिए। *(ग्राम पंचायत द्वारा)*
- पर्यावास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 'आदर्श पंचायत कानून' को लागू किया जाना चाहिए। *(केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)*
- प्राकृतिक संसाधनों, उच्छिष्ट पदार्थों के प्रबन्धन, सौर–ऊर्जा, वर्षा जल संचयन और विद्युत आपूर्ति की योजनाओं को एक साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिए। *(राज्य, जिला सरकार द्वारा)*
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली द्वारा भूमि का लेखा–जोखा एवं पंजीकरण की व्यवस्था को आसान बनाया जाना चाहिए। (राज्य, *जिला सरकार द्वारा)*

बुनियादी सुविधाएं पर्यावास का परिपेक्ष्य

आजीविका संबन्धी बुनियादी सुविधाओं को पर्यावास विकास के अनुकूल बनाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए –

- बुनियादी सुविधाओं की योजना, स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकता पर आधारित होनी चाहिए। *(ग्राम पंचायत द्वारा)*
- पर्यावास के कुशल संचालन के लिए 'सार्वजनिक–निजी–भागीदारी' को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। *(राज्य सरकार, पंचायती राज और स्वयं–सेवी संस्थाओं द्वारा)*
- बुनियादी सुविधाओं के विकास में भागीदारी हेतु वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। *(केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)*
- राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए विस्थापन संबन्धित मुद्दों को उजागर किया जाना चाहिए। *(केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा)*
- पर्यावास के लिए 'भारत निर्माण' का क्रियान्वयन होना चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*

सुपूर्दगी व्यवस्थाओं का पुनर्गठन

पर्यावास सुपूर्दगी हेतु स्थानीय बाजारों पर आधारित सतत प्रणाली के लिए –

- ग्राम सभा द्वारा चयनित पर्यावास संबन्धी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। *(राज्य, जिला सरकार द्वारा)*
- पर्यावास योजनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक सामुदायिक प्रयासों के अनुरूप होनी चाहिए। *(ग्राम पंचायत, स्वयं–सेवी संस्थाओं और तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*
- किफ़ायती भवन निर्माण सामग्री को 'प्रयोगशाला से गांव' तक पहुंचाना चाहिए। *(ग्राम पंचायत, स्वयं–सेवी संस्थाओं और तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*
- स्थानीय कला पर आधारित उपयुक्त निर्माण सामग्रियों एवं तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। *(ग्राम पंचायत, तकनीकी संस्थाओं और स्वयं–सेवी संस्थाओं द्वारा)*
- जिला और ग्राम स्तर पर 'निर्माण सामग्री बैंकों' और ग्रामीण निर्माण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। *(राज्य, जिला सरकार द्वारा)*
- जिले के अन्दर ही ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों द्वारा तैयार सतत, तकनीक को वित्तीय सहायता के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। *(लघु एवं कुटीर उद्यमियों द्वारा)*
- नई निर्माण सामग्री में दरों की सूचि एवं विशेषताओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*
- स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर गुण–संपन्न एवं किफ़ायती भवन निर्माण सामग्री के मानक तय किये जाने चाहिए। *(राज्य सरकार द्वारा)*
- रूपांकन एवं निर्माण के लिये ठोस भवन नियमावली एवं सुरक्षा मानकों को लागू किया जाना चाहिए। *(ग्राम पंचायत द्वारा)*

क्षमता विकास

नीति के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिये –

- सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पर्यावास के लिए जागृति। *(स्वयं–सेवी एवं तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*
- निर्माण की योजना, रूपांकन और परिवीक्षण के लिये ग्राम सभा का क्षमता विकास किया जाना चाहिए। *(स्वयं–सेवी एवं तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*
- 'NREGS' और अन्य परियोजनाओं के द्वारा मजदूरों का क्षमता विकास किया जाना चाहिए। *(जिला, ग्राम पंचयातों के द्वारा)*
- पर्यावास की प्लानिंग, आपूर्ति एवं रख–रखाव के लिये राज्य प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। *(केन्द्र सरकार द्वारा)*
- कारीगर एवं उद्यमियों के प्रशिक्षण को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। *(राज्य सरकार, भवन निर्माण केन्द्र एवं तकनीकी संस्थाओं द्वारा)*